न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 118/18

GCMS NO 2018/00163

1. काडूराम
2. कलुआराम
3. पप्पूलाल पुत्रान स्व0 पून्या जातियान चमार बैरवा निवासीयान गावदा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामचरण पुत्र मौजीराम दत्तक पुत्र फैलू
2. रामधन पुत्र मौजीराम
3. रामजीलाल पुत्र रामचरण
4. रामलाल पुत्र रामचरण
5. प्यारीलाल पुत्र रामचरण जातियान मीना निवासीयान गावदा तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 25/16 निर्णय दिनांक 11.4.18
न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री नवल किशोर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री इकरामुद्दीन खान

दिनांक 9.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 11.4.18 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 208/3 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा तीर 2 वाके ग्राम गांवदा पटवार हल्का एकट तहसील सपोटरा अपीलांट/सायलान की खातेदारी की भूमि है। जिस पर सायलान/अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर फसल काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। दिनांक 21.5.16 को सायलान/अपीलांट अपने कब्जे व सवामित्व खातेदारी की भूमि पर साफ सफाई कर रहे ... सायलान हाथो मे डण्डे लाठी लेकर सायलान/अपीलांट की भूमि पर ... खेत की साफ सफाई नही करने दी गई तथा जबरन भूमि पर कब्जा ... पर आमादा हो गये। यही वाद कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

होने से अपीलांट/सायलान को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना हुई। इस प्रकार गैरसायलान/रेस्पो० को पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान/अपीलांट की कब्जे व स्वामित्व की आराजी ख०न० 208/3 मे कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नही करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायलान द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 26/17 के निस्तारण मे यह निष्कर्षित नही किया कि विवादित आराजी के संबंध मे न्यायालय मे दावा विचाराधीन है। विवादित आराजी प्रार्थीगण की है अथवा अप्रार्थीगण की है। इसका फैसला दावे के सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात किया जा सकेगा। कब्जे के संबंध मे दोनो पक्षो का अपना अपना दावा है इस कारण कब्जे के संबंध मे किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना असंभव है। दावे के निर्णय के समय ही यह स्पष्ट होगा कि विवादित आराजी का वास्तविक हकदार कौन है तथा कौन व्यक्ति विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी किसी भी पक्ष का कब्जा अभिनिश्चत किये बिना दोनो पक्षो को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द करते समय व इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी दशा मे न्याय के उद्वेश्य की पूर्ति के लिए प्रभावी नही होगा क्योकि उक्त निर्णय की रोशनी मे दोनो ही पक्ष विवादित आराजी पर अपना अपना कब्जा बताते हुए एक दूसरे पर न्यायालय आदेश की अवहेलना का आक्षेप लगा सकते है। उक्त निर्णय के जरिये अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को इनमीडियो माना है ऐसी दशा मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के बजाय विवादित आराजी पर रिसीवर की क्रियान्विति किया जाना विधि पूर्ण एवं न्यायोचित होता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त परिरिस्थितियो पर गौर नही करके अपीलांट के रिसीवर प्रार्थना पत्र को खारिज करके विधि एवं तथ्यो की गंभीर भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज योग्य है। विधि का प्रस्थापित सिद्वान्त है कि न्यायालय का आदेश निष्पादन योग्य व न्याय के उद्वेश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का जो आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से निष्पादनीय प्रभावशील नही है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने अभिवचनीयात पर कब्जे के बाबत कोई अभिवचन नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर अपीलांट का प्रथम दृष्टया कब्जा काश्त अभिनिश्चित नही करके विधि एवं तथ्यो की गंभीर भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

क्योकि विवादित आराजी वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अपीलाट से पूर्व उनके पूर्वजो की खातेदारी मे रही है। इस कारण अपीलांट को पाबन्द करने का आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिसीवर प्रार्थना पत्र के निर्णय मे यह निष्कर्ष दिया है कि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह व साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित आराजी पर कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान के बीच झगडा हुआ हो अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष के आधार पर रिसीवर की नियुक्ति से इंकार करने का आदेश विधि सम्मत नही है। क्योकि पत्रावली पर उपलब्ध शपथपत्रो से स्पष्ट है कि रेस्पो0 विवादित आराजी मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा कर रहे है और इंकार करने पर झगडा फसाद के लिए आमादा है। रिसीवर की नियुक्ति हेतु पक्षकारान के मध्य मारपीट अथवा झगडा फसाद हो जाना ही आवश्यक नही है। विवाद का अंदेशा व विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व एक पक्ष का शांतिपूर्वक काबिज काश्त नही रहने का अंदेशा ही पर्याप्त है। विवादित आराजी के बाबत रेस्पो0 द्वारा झगडा किया गया है जिस पर थानाधिकारी सपोटरा द्वारा रेस्पो0 को पूर्व मे परिशांति कायम रखने हेतु धारा 107,116 सीआरपीसी के अन्तर्गत इस्तगासा भी सक्षम न्यायालय मे पेश किया है। इस प्रकार अपीलांट का रिसीवर प्रार्थना पत्र खारिज करके विधि एवं तथ्यो की भारी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा न0 26/17 व 45/17 मे पारित आदेश को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र संख्या 45/17 को स्वीकार कर विवादित आराजीयात ख0न0 208/3 स्थित ग्राम गावदा तहसील सपोटरा पर रिसीवर नियुक्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 208/3 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा अपीलांट/सायलान की खातेदारी की भूमि नही है। जबकि रेस्पो/गैरसायलान के पूर्वज फैलू पुत्र ग्यारसा की आराजीयात साबिक ख0न0 162/7/2 रकबा 10 विस्वा, 208/3 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा , 161/1/3 रकबा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम गांवदा स्थित थी लेकिन सायलान/अपीलांट के पिता द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साज कर नामा0संख्या 81 दिनांक 22.1.1981 को हमारे पिताजी की विरासत का नामा0खुलवा लिया था। इसके पश्चात जमाबंदी सम्वत 2041–44 मे सायलान/अपीलांट के पिता द्वारा पून्या पुत्र फेलूराम कोम चमार दर्ज करवा ली गई। जो गलत होने के कारण खारिज योग्य है। सायलान/अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात अलग है जो जमाबंदी सम्वत 2020–23 मे दर्ज है। इस प्रकार नाम का फायदा उठाकर सायलान/अपीलांट द्वारा गलत रूप से खातेदारी दर्ज कराई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण किसी के भी पक्ष मे नही होने तथा कब्जे के संबंध मे अपना आ[illegible] करने के कारण ही दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को विधि के [illegible] है। जो विधिक रूप से सही है। अतः अपीलांट की अपील खारि[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 208/3 रकबा 4 बीघा 14 विस्वा के बाबत उभयपक्ष द्वारा पृथक पृथक वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना अपीलांट ने कथन किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे अधिनस्थ न्यायालय का मुकदमा न0 45/17 एवं 26/17 का अंकन किया गया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वास्तविक मुकदमा न0 25/16 है। इस प्रकार यह भूल टंकण के दौरान होना प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही गांव मे एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण एवं विवादित आराजीयात का वास्तविक हकदार कौन है तथा विवादित आराजीयात पर कब्जा किसका है जिसका निर्णय भी दावे मे तय होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट/सायलान व रेस्पो0/गैरसायलान के पक्ष मे नही होने के कारण ही विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति दावे मे निस्तारण तक कायम रखने के आदेश विधि के अनुरूप दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के प्रकरण संख्या 25/16 निर्णय दिनांक 11.4.18 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner